न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

(2)

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या– 97 / 2016–17

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
25/5/17	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता 1. श्रीमती टुपाली देवी, पति–स्व0 भिखु नापित, 2. श्रीमती रोमी देवी पति–स्व0 मुकुन्द नापित, 3. श्रीमती रानी देवी पति–जगदीश हजाम, जाति–नाई, ग्राम–खमारबेन्दी, थाना–चास (मु0), जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–मामरकुदर, थाना नं0–92 के खाता सं0–37 प्लॉट नं0–132, 135 रकवा 0.16½ एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 674 / भू0सु0, दिनांक 14.10.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2275 दिनांक 26.11.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका खतियान विशु ओझा वगैरह के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता एवं क्रेता ग्राम–खमारबेन्दी, थाना–चास (मु0), जिला–बोकारो के निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के नाई हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 16.50 डी0 भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को दस्तावेज संख्या 21056 दिनांक 30.08.1971 के द्वारा खरीदगी प्राप्त है। जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या–475 में देवी लाल नापित, ज्योति लाल नापित एवं रानी नापितानी के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म गोड़ा तीन है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा–मामरकुदर, थाना नं0–92 के खाता सं0–37 प्लॉट नं0–132, 135 रकवा 0.16½ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—146885 दिनांक 13.04.2016, प्रमाण पत्र सं0—686 दिनांक 19.02.2016, प्रमाण पत्र सं0—1483 दिनांक 13.04.2016 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—681 दिनांक 28.01.2015, प्रमाण पत्र सं0—414 दिनांक 01.02.2016 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता 1. श्रीमती टुपाली देवी, पति—स्व0 भिखु नापित, 2. श्रीमती रोमी देवी पति—स्व0 मुकुन्द नापित, 3. श्रीमती रानी देवी पति—जगदीश हजाम, जाति—नाई, ग्राम—खमारबेन्दी, थाना—चास (मु0), जिला—बोकारो को मौजा—मामरकुदर, थाना नं0—92 के खाता सं0—37 प्लॉट नं0—132, 135 रकवा 0.16½ एकड़ भूमि को विक्रेता दस्तावेज में प्लॉट का रकवा अंकित करें तद्नुसार क्रेता 1. श्रीमती छवि देवी, पति स्व0 धिरेन्द्र नाथ प्रमाणिक, 2. गीता देवी पति बाटुल चन्द्र प्रमाणिक, जाति—नाई, ग्राम—खमारबेंदी, थाना—चास (मु0), जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित 25/05/17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 25/05/17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 18:53:37 +05:30
Location: 192.168.1.42